

भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक, 2013

खंड

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना

3. प्राधिकरण की स्थापना ।
4. प्राधिकरण का गठन ।
5. चयन समिति का गठन ।
6. सदस्य पद के लिए निरर्हता ।
7. सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।
8. सदस्यों का हटाया जाना और निलंबन ।
9. पुनर्नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता ।
10. अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ।
11. बैठकें ।
12. प्राधिकरण की कार्यवाहियों का शक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना ।
13. प्राधिकरण का लाभ न कमाने संबंधी सिद्धांतों पर कार्य करना ।

अध्याय 3

प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियां

14. प्राधिकरण के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां ।
15. जानकारी मांगने, अन्वेषण करने आदि की प्राधिकरण की शक्तियां ।
16. निदेश देने की प्राधिकरण की शक्ति ।
17. अभिग्रहण की शक्ति ।

अध्याय 4

संपत्ति और संविदा

18. केंद्रीय सरकार की आस्तियों और दायित्वों का प्राधिकरण को अंतरण ।
19. प्राधिकरण द्वारा संविदाएं ।
20. प्राधिकरण की ओर से संविदाएं निष्पादित करने का ढंग ।

खंड

अध्याय 5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

21. प्राधिकरण की फीस और प्रभार उद्गृहीण करने की शक्ति ।
22. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को अतिरिक्त पूंजी और अनुदान ।
23. प्राधिकरण की निधि और उसका विनिधान ।
24. अधिशेष निधियों का आबंटन ।
25. बजट ।
26. लेखा और संपरीक्षा ।
27. विवरणियों आदि का केन्द्रीय सरकार को दिया जाना ।

अध्याय 6

अपराध और शास्तियां

28. इस अधिनियम के अधीन आदेशों और निदेशों के अननुपालन के लिए दंड ।
29. प्राधिकरण के आदेश के अननुपालन के लिए दंड ।
30. कंपनियों द्वारा अपराध ।
31. सरकारी विभाग द्वारा अपराध ।
32. अपराधों का शमन ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

33. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को निदेश ।
34. अधिकारिता का वर्जन ।
35. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
36. अपीलें ।
37. कतिपय करों से छूट ।
38. अपराधों का संज्ञान ।
39. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
40. केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति ।
41. अन्य विधियों के लागू होने का अपवर्जन ।
42. नियम बनाने की शक्ति ।
43. विनियम बनाने की शक्ति ।
44. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
45. 1934 के अधिनियम संख्यांक 22 का संशोधन ।
46. कठिनाई दूर करने की शक्ति ।

2013 का विधेयक संख्यांक 130.

[दि सिविल एविएशन एथोरिटी आफ इंडिया बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक, 2013

नागर विमानन सुरक्षा के प्रशासन और विनियमन के लिए भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण का गठन करने, वायु परिवहन सेवा प्रचालकों, विमान चालन सेवा प्रचालकों और अन्य नागर विमानन सुविधाओं के प्रचालकों पर नागर विमानन सुरक्षा अन्वेषण का, नागर विमानन सेक्टर में सुरक्षा संबंधी संक्रियाओं, उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण विनियमों पर वित्तीय दबाव के संघात से संबंधित विषयों का बेहतर प्रबंध करने तथा वायुयान अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उचित कार्यान्वयन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण अधिनियम, 2013 है।

संक्षिप्त
विस्तार
प्रारंभ।

नाम,
और

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह,—

(क) भारत के सभी नागरिकों को, जहां कहीं भी वे हों ;

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान को, और वायुयान पर मौजूद सभी व्यक्तियों को, जहां कहीं भी वे हों ;

(ग) भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत, किंतु तत्समय भारत में या उसके ऊपर मौजूद, वायुयान को, और वायुयान पर मौजूद सभी व्यक्तियों को ; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, किंतु भारत में कारबार का प्रमुख स्थान या स्थायी निवास स्थान है, प्रचालित वायुयान को,

भी लागू होता है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “विमानक्षेत्र” से थल या जल का कोई ऐसा निश्चित या सीमित क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसका प्रयोग पूर्णतः या भागतः वायुयान के उतरने या उसके प्रस्थान या भूतल पर संचलन के लिए आशयित है और इसके अंतर्गत उस पर के या उससे जुड़े हुए सभी भवन, शेड, जलयान और अन्य संरचनाएं भी हैं ;

(ख) “भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण” से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) “विमान चालन सेवा” के अंतर्गत वायु यातायात प्रबंध, संसूचना, संचालन और निगरानी प्रणाली, विमान चालन के लिए मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं, तलाशी और बचाव तथा पहुंच मार्ग, विमान क्षेत्र और मार्ग में तथा प्रचालन के सभी अन्य क्रमों के दौरान हवाई यातायात को वैमानिक सूचना सेवाएं उपलब्ध करना है ;

(घ) “हवाई यातायात सेवा” के अंतर्गत उड़ान सूचना सेवा, सतर्क करने संबंधी सेवा, हवाई यातायात सलाह सेवा, हवाई यातायात नियंत्रण सेवा, क्षेत्र नियंत्रण सेवा, पहुंच मार्ग नियंत्रण सेवा और विमानपत्तन नियंत्रण सेवा है ;

(ङ) “वायु परिवहन प्रचालक” से किसी वायु परिवहन सेवा का प्रचालक अभिप्रेत है ;

(च) “वायु परिवहन सेवा” से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक, चाहे वह कुछ भी हो, के लिए व्यक्तियों, डाक या किसी अन्य सजीव या निर्जीव वस्तु के वायुमार्ग द्वारा परिवहन के लिए कोई सेवा अभिप्रेत है, चाहे ऐसी सेवा एकल उड़ान या उड़ानों की श्रृंखला से संबद्ध हो ;

(छ) “वायु परिवहन उपक्रम” से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है, जिसके कारबार में भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्रियों या स्थोरा का वायुमार्ग द्वारा वहन सम्मिलित है ;

(ज) “नियत दिन” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(झ) “प्राधिकरण” से धारा 3 के अधीन गठित भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ज) “अध्यक्ष” से धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

5 (ट) “अभिसमय” से 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय और अंतरराष्ट्रीय मानकों और सिफारिश की गई पद्धतियों से संबंधित उसके उपाबंध अभिप्रेत हैं ;

(ठ) “महानिदेशक” से धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(ड) “अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन” से अभिसमय के अधीन सृजित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अभिप्रेत है ;

10 (ढ) “सदस्य” से धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और महानिदेशक भी है ;

1.5 (ण) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” पद का, उसके सजातीय पदों और व्याकरणिक रूपभेदों सहित, तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(त) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(थ) “विनियमों” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

20 (द) “सेवा प्रदाता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रकार के पारिश्रमिक के लिए, चाहे जो भी हो, वायु परिवहन सेवाओं के आनुषंगिक कोई सेवा उपलब्ध करवाता है और इसके अंतर्गत वायु यातायात सेवाएं, जमीनी सुरक्षा और हैंडलिंग सेवाएं, वैमानिक संसूचना और विमान संचालन सहायता और मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं भी हैं, किंतु इसके अंतर्गत विमानन सुरक्षा की व्यवस्था संबंधी सेवाएं नहीं हैं ।

अध्याय 2

25 नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना

3. (1) केंद्रीय सरकार, नियत दिन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी ।

प्राधिकरण की स्थापना ।

20 (2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम का एक नियमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

4. (1) प्राधिकरण, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

प्राधिकरण का गठन ।

35 (क) अध्यक्ष, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) महानिदेशक, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ग) सात से अन्धून् और नौ से अनधिक सदस्य, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) महानिदेशक और कम से कम पांच अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में

नियुक्त किए जाएंगे और वे कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे ।

(3) अध्यक्ष का चुनाव ऐसे व्यक्तियों में से किया जाएगा, जिन्हें नागर विमानन, इंजीनियरी या प्रबंधन का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव हो :

परंतु कोई व्यक्ति, जो सरकार की सेवा में है या रहा है, सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा, जब ऐसे व्यक्ति ने भारत सरकार के सचिव या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में समतुल्य पद धारण किया हो ।

(4) महानिदेशक और पूर्णकालिक सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाएगा, जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्र में, ऐसी अर्हता, व्यावसायिक अनुभव और क्षमता हो, जो विहित की जाए,—

(क) उड़डयन योग्यता और वायुयान इंजीनियरी ;

(ख) उड़ान मानक प्रचालन ;

(ग) विमानन सुरक्षा ;

(घ) विमान क्षेत्र, विमान चालन प्रणाली और आकाशी क्षेत्र प्रबंध ;

(ङ) वायु परिवहन, सुरक्षा संबंधी संक्रियाओं पर वित्तीय दबाव के संघात, उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण विनियमन से संबंधित विषय ; और

(च) मानव संसाधन और वित्त ।

(5) अध्यक्ष, महानिदेशक और अन्य सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 5 में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किए जाएंगे ।

(6) महानिदेशक, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा ।

चयन समिति का गठन ।

5. (1) केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष, महानिदेशक और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) मंत्रिमंडल सचिव -- अध्यक्ष ;

(ख) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय -- सदस्य ;

(ग) सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय -- सदस्य ;

(घ) सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग -- सदस्य ;

(ङ) एक विशेषज्ञ, जिसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा -- सदस्य ।

(2) केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने के कारण किसी रिक्ति के होने की तारीख से एक मास के भीतर और अध्यक्ष या किसी सदस्य की अधिवर्षिता से या पदावधि के अंत से छह मास पूर्व, रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को निर्देश करेगी ।

(3) चयन समिति, उस तारीख से, जिसको उसे निर्देश किया जाता है, एक मास के भीतर अध्यक्ष, महानिदेशक और पूर्णकालिक सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी ।

(4) चयन समिति, उसको निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी ।

(5) चयन समिति, प्राधिकरण के अध्यक्ष या महानिदेशक या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे सदस्य के रूप में उसके

कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(6) अध्यक्ष, महानिदेशक या अन्य सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है ।

6. ऐसा व्यक्ति, जो—

5

(क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ख) अनुमोचित दिवालिया है ; या

10

(ग) विकृतचित का है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है ; या

15

(ङ) केंद्रीय सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है, जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,

सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा ।

7. (1) धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) अध्यक्ष, महानिदेशक और अन्य पूर्णकालिक सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

20

परंतु कोई पूर्णकालिक सदस्य,—

(i) अध्यक्ष की दशा में, पैंसठ वर्ष ; और

(ii) महानिदेशक या अन्य पूर्णकालिक सदस्य की दशा में, बासठ वर्ष,

की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में अपना पद धारण नहीं करेगा ;

25

(ख) प्रत्येक अंशकालिक सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(2) अध्यक्ष, महानिदेशक और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(3) अध्यक्ष, महानिदेशक और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

30

(4) अध्यक्ष, महानिदेशक या कोई भी सदस्य, केंद्रीय सरकार को उतनी अवधि की, जो विहित की जाए, लिखित सूचना देकर, अपना पद त्याग सकेगा और ऐसे पद त्याग के सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उस सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

35

8. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को पद से हटा सकेगी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य,—

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जो ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केंद्रीय

सदस्य पद के लिए
निरर्हता ।

सदस्यों की
पदावधि और सेवा
की शर्तें ।

सदस्यों का हटाया
जाना और
निलंबन ।

सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; या

(च) जो अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय किसी अन्य नियोजन में लगा हुआ है ।

(2) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, उसके पद से, केंद्रीय सरकार के ऐसे आदेश के सिवाय, जब उसके साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच के पश्चात् केंद्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सदस्य को ऐसे आधार पर हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाएगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, ऐसे किसी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन कोई जांच आरंभ की जा रही हो या लंबित हो, तब तक निलंबित कर सकेगी, जब तक केंद्रीय सरकार ने जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई आदेश पारित न किया हो ।

पुनर्नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता ।

9. कोई भी व्यक्ति, सदस्य न रहने पर, यदि धारा 6 के अधीन उसे निरहित न कर दिया गया हो या धारा 8 के अधीन हटा न दिया गया हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ।

10. अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलापों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेश देने की शक्ति होगी और वह प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं या प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

बैठकें ।

11. (1) प्राधिकरण की बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी और उसके द्वारा अपनी बैठकों में कारबार का संव्यवहार किए जाने के संबंध में (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन किया जाएगा, जैसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) अध्यक्ष, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि वह प्राधिकरण की किसी बैठक में किसी कारण से उपस्थित होने में असमर्थ है तो महानिदेशक या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक में पीठासीन होगा ।

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो प्राधिकरण की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

प्राधिकरण की कार्यवाहियों की शक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना ।

12. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) प्राधिकरण के किसी सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

13. प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, यथासंभव लाभ न कमाने संबंधी सिद्धांतों पर कार्य करेगा ।

प्राधिकरण का लाभ न कमाने संबंधी सिद्धांतों पर कार्य करना ।

अध्याय 3

प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियां

1934 का 22

14. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, वायुयान अधिनियम, 1934 के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा और उस प्रयोजन के लिए वह, उस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नागर विमानन के महानिदेशक को सौंपे गए सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

प्राधिकरण के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां ।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह नागर विमानन सुरक्षा को विनियमित करे और वायु परिवहन सेवा प्रचालकों, विमानपत्तन प्रचालकों, विमान चालन सेवा प्रचालकों और अन्य नागर विमानन सेवाओं या सुविधाओं के प्रदाताओं को सुरक्षा अन्वेक्षा के माध्यम से नागर विमानन के बेहतर प्रबंध के लिए उपबंध करे ।

1934 का 22

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 में और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में, यदि कोई हों, किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

1934 का 22

(क) वायुयान अधिनियम, 1934 और उसके अधीन विरचित नियमों के अधीन जारी किए जाने के लिए अपेक्षित या नागर विमानन सेक्टर की सुरक्षा के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियां, प्रमाणपत्र अनुज्ञापत्र, अनुमोदन और कोई अन्य विधिक प्राधिकार पत्र या दस्तावेज जारी करे ;

(ख) वायु परिवहन प्रचालकों के क्रियाकलापों को विनियमित करे ;

(ग) विमानपत्तनों, एयरलाइनों और अन्य नागर विमानन कार्यकलापों के लिए पर्यावरण विनियमों का उपबंध करे ; और

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करे ।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण,—

1934 का 22

(क) वायुयान अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित सभी कृत्य और कर्तव्यों का पालन कर सकेगा ;

(ख) राज्य सुरक्षा कार्यक्रम तैयार कर सकेगा और सुरक्षा प्रबंध प्रणाली का अनुमोदन कर सकेगा तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों के सहयोग से उनके कार्यान्वयन की देखभाल कर सकेगा ;

1934 का 22

(ग) वायुयान अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का, अभिसमय से उपाबद्ध संशोधनों का पालन करने और किसी अन्य अधिनियम का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लाने या अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को या किसी विद्यमान अभिसमय के संशोधन को प्रभावी बनाने के क्रम में किसी नए अधिनियम को पारित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगा ;

(घ) अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठनों से संबंधित विषयों पर सभी अभिकरणों के साथ समन्वय कर सकेगा और अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के पत्रों का उत्तर दे सकेगा और नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का सुरक्षा अन्वेक्षा संपरीक्षा कार्यक्रम से उद्भूत सभी आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा ;

5

(ङ) अन्य देशों के राष्ट्रीय नागर विमानन प्राधिकरणों के साथ सहयोग कर सकेगा और प्रादेशिक और विश्वस्तरीय सहकारिता संबंधी कार्यक्रमों पर, नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से कार्य कर सकेगा ;

(च) अभिसमय के उपाबंध 9 के उपबंधों का भारत में कार्यान्वयन करने और भारतीय विमानपत्तनों पर उन्हें सुकर बनाने संबंधी विषय के, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सरलीकरण समिति की बैठकें भी हैं, समन्वय के लिए मुख्य अभिकरण के रूप में कार्य कर सकेगा ;

10

(छ) केंद्रीय सरकार को, वायु परिवहन से संबंधित विषयों पर, जिसके अंतर्गत द्विपक्षीय वायुसेवा कशर भी है, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठनों से संबंधित विषयों पर और साधारणतया नागर विमानन से संबंधित सभी तकनीकी विषयों पर सलाह दे सकेगा ;

15

(ज) राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय आकाशी क्षेत्र का समन्वय और विनियमन, जिसके अंतर्गत नागर और सैन्य वायु यातायात द्वारा आकाशी क्षेत्र के लचीले उपयोग, जैसे नागर और सैन्य समन्वय से संबंधित सभी विमानन विषय भी हैं, कर सकेगा तथा भारतीय आकाशी क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के लिए प्रादेशिक और विश्व स्तर पर, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन भी है, अन्योन्यक्रिया कर सकेगा ;

20

(झ) भारतीय आकाशी क्षेत्र और समनुदिष्ट समुद्रीय आकाशी क्षेत्र में विमान चालन सेवाओं की सुरक्षा अन्वेक्षा का उपबंध कर सकेगा ;

(ञ) मौसम विज्ञान सेवाओं संबंधी विमानन की सुरक्षा अन्वेक्षा का उपबंध कर सकेगा ;

25

(ट) विदेश में रजिस्ट्रीकृत वायुयान पर विनियामक शक्ति का प्रयोग कर सकेगा ;

(ठ) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वैमानिक सूचना प्रकाशनों को तैयार कर सकेगा और उन्हें अद्यतन कर सकेगा ;

1934 का 22

30

(ड) अभिसमय के उपाबंध 16 के अनुसार वायुयान की ध्वनि और इंजन के उत्सर्जन पर निगरानी रख सकेगा और इस मामले में पर्यावरणीय अभिकरणों के साथ सहयोग कर सकेगा ;

(ढ) उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए वायुयान और वायुयान के संघटकों के देशीय डिजाइन और विनिर्माण को प्रोत्साहित कर सकेगा ;

35

(ण) नागर विमानन कार्मिकों, जिसके अंतर्गत उसके अपने अधिकारी और कर्मचारी भी हैं, के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकेगा ;

(त) देश में यातायात डाटा का विश्लेषण कर सकेगा और समग्र विमानन विकास संबंधी रिपोर्टें तैयार कर सकेगा, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यातायात के लिए परियोजनाएं और साथ ही भारत में वायुयान की मांग की परियोजना तैयार कर सकेगा और एयरलाइन तथा विमानपत्तन प्रचालकों को उनकी विस्तार योजनाएं तैयार करने में सहायता कर सकेगा ;

40

(थ) उपरोक्त कृत्यों, कर्तव्यों और शक्तियों के अंतर्गत आने वाले विषयों पर निदेश जारी कर सकेगा ;

1934 का 22

5 (द) ऐसे सभी उपाय कर सकेगा, जो इस अधिनियम, वायुयान अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उसे प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग के लिए या उसे अधिरोपित किसी कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हों या उसके आनुषंगिक हों ;

(ध) ऐसा कोई अन्य कृत्य, कर्तव्य या दायित्व कर सकेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए ; और

10 (न) वायु परिवहन प्रचालकों, वायु यातायात सेवा प्रदाताओं और वायु परिवहन सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा की क्वालिटी के मानक अधिकथित कर सकेगा और सेवा की क्वालिटी, विश्वसनीयता और निरंतरता से संबंधित नियत कार्यपालन मानकों को मानीटर और प्रवृत्त कर सकेगा ।

(5) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए,—

15 (क) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिकारियों और कर्मचारियों के उतने पद सृजित कर सकेगा, जितने वह आवश्यक समझे ;

(ख) प्राधिकरण के कृत्यों और कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक कार्मिकों का चयन और उनकी नियुक्ति कर सकेगा ;

20 (ग) परामर्शियों, सलाहकारों, अटर्नियों और अभिकर्ताओं की उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त करके संविदा के आधार पर नियुक्त करके ऐसी सेवाएं, जो प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक होंगी, अभिप्राप्त कर सकेगा और भारत में उद्योग मानकों के संगत उनके पारिश्रमिक का उपबंध कर सकेगा ;

25 परंतु प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के, जो उपरोक्त खंड (ग) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से भिन्न हैं, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी, जो केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की हैं ।

30 (6) प्राधिकरण, उपधारा (1) से उपधारा (5) के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में, भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा ।

(7) प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय,—

(क) पणधारियों के साथ ऐसी सम्यक् परामर्श करके, जो समुचित है, जिसके अंतर्गत उपयोगिता परिषद् का गठन भी है ;

35 (ख) पणधारियों को, अपने अनुरोध उसे करने के लिए अनुज्ञात करके ; और

(ग) अपने विनिश्चयों का पूर्ण रूप से दस्तावेजीकरण और सुस्पष्ट करके, सुशासन, जिसके अंतर्गत पारदर्शिता और ऋजुता भी है, को सुनिश्चित करेगा ।

15. (1) जहां प्राधिकरण ऐसा करना समीचीन समझता है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा,—

40 (क) किसी वायु परिवहन प्रचालक या सेवा प्रदाता से किसी भी समय लिखित में उसके कृत्यों से संबंधित ऐसी जानकारी, जिसके अंतर्गत वित्तीय आंकड़े भी हैं, या स्पष्टीकरण मांग सकेगा, जिसकी प्राधिकरण अपेक्षा करे ;

जानकारी मांगने,
अन्वेषण करने
आदि की
प्राधिकरण की
शक्तियां ।

(ख) किसी वायु परिवहन प्रचालक या सेवा प्रदाता के कार्यों के संबंध में कोई जांच करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा ; और

(ग) किसी वायु परिवहन प्रचालक या सेवा प्रदाता की लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए अपने अधिकारियों या कर्मचारियों में से किसी को निदेश दे सकेगा ;

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी वायु परिवहन प्रचालक या सेवा प्रदाता के कार्यों के संबंध में कोई जांच हाथ में ली गई है, वहां,—

(क) यदि ऐसा प्रचालक या सेवा प्रदाता सरकार का कोई विभाग है तो सरकारी विभाग का प्रत्येक कार्यालय ; या

(ख) यदि ऐसा प्रचालक या सेवा प्रदाता कोई कंपनी है तो प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ; या

(ग) यदि ऐसा प्रचालक या सेवा प्रदाता कोई फर्म है तो प्रत्येक भागीदार प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ; या

(घ) ऐसा प्रत्येक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जिसका खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के साथ कारबार के अनुक्रम में संबंध रहा था,

जांच करने वाले प्राधिकरण के समक्ष अपनी अभिरक्षा या शासित ऐसी सभी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज जो, ऐसी जांच की विषय-वस्तु से संबंधित है, पेश करने के लिए और प्राधिकरण को, यथास्थिति, उससे संबंधित ऐसा कोई विवरण या जानकारी भी, जिसकी उससे अपेक्षा की जाए, ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा ।

(3) प्रत्येक वायु परिवहन प्रचालक या सेवा प्रदाता ऐसी लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज रखेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) प्राधिकरण को, वायु परिवहन प्रचालकों या किसी सेवा प्रदाता के कार्य को मानीटर करने के लिए ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी, जो वह ऐसे प्रचालकों या सेवा प्रदाता द्वारा समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे ।

निदेश देने की प्राधिकरण की शक्ति ।

16. प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों में से किसी के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, वायु परिवहन प्रचालकों या किन्हीं अन्य सेवा प्रदाताओं को समय-समय पर, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

अभिग्रहण की शक्ति ।

17. प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहां प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय-वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज मिल सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां तक वे लागू हों, अभिगृहीत कर सकेगा या उससे उद्धरण या उसकी प्रतियां ले सकेगा ।

1974 का 2

अध्याय 4

संपत्ति और संविदा

केंद्रीय सरकार की आस्तियों और दायित्वों का प्राधिकरण को अंतरण ।

18. (1) नियत तारीख से ही, प्राधिकरण को निम्नलिखित अंतरित किया जाएगा और उसमें निहित किया जाएगा,—

(क) नियत तारीख से ठीक पूर्व केंद्रीय सरकार में निहित और नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा प्रशासित सभी संपत्तियां और अन्य आस्तियां, जिसके अंतर्गत

40

उपरकर और सुविधाएं भी हैं ;

(ख) नियत तारीख से ठीक पूर्व, प्रादेशिक और उपप्रादेशिक कार्यालय या किन्हीं अन्य कार्यालयों के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार में निहित और नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा प्रशासित सभी संपत्तियां और अन्य आस्तियां ;

5 (ग) नियत तारीख से ठीक पूर्व नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा उपयोग के लिए केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन सभी आवासीय भवन ।

(2) नियत तारीख से ठीक पूर्व, नागर विमानन के महानिदेशक के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा उसके साथ या उसके उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले 10 और बातें उस प्राधिकरण द्वारा, या उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी ।

(3) नागर विमानन के महानिदेशक के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत तारीख तक उपगत और पूंजीगत व्यय के रूप में घोषित सभी अनावर्ती व्यय को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकरण को उपलब्ध की गई पूंजी समझा जाएगा । 15

(4) नागर विमानन के महानिदेशक के कार्यकलापों या प्रयोजनों के लिए, नियत तारीख से ठीक पूर्व, केंद्रीय सरकार को देय सभी धनराशियां प्राधिकरण को देय समझी जाएंगी ।

(5) ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, जो नागर विमानन के महानिदेशक 20 के कार्यकलापों या प्रयोजनों के लिए, नियत तारीख से ठीक पूर्व, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई हों या संस्थित की जा सकती थीं, प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी ।

(6) यदि कोई ऐसा विवाद या ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार की संपत्तियों, अधिकारों या दायित्वों में से कौन से प्राधिकरण को अंतरित 25 कर दिए गए हैं या नागर विमानन के महानिदेशक के अधीन सेवा करने वाले कर्मचारियों में से कौन से प्राधिकरण के प्रतिनियोजन पर समझे जाते हैं तो ऐसे विवाद या शंका का विनिश्चय प्राधिकरण के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(7) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व, नागर विमानन के महानिदेशक के अधीन 30 किसी पद को धारण करने वाला प्रत्येक कर्मचारी प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा, किंतु वह प्राधिकरण में अपना पद उसी अवधि तक और पारिश्रमिक, छुट्टी, भविष्य निधि, निवृत्ति या अन्य सेवांत सुविधाओं की बाबत सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करेगा, जिन पर वह ऐसे पद को प्राधिकरण का गठन न होने की दशा में धारण करता और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए या तब तक वैसा करता रहेगा जब तक 35 प्राधिकरण उस कर्मचारी को अपनी नियमित सेवा में सम्यक् रूप से आमेलित नहीं कर लेता है, इनमें जो भी पूर्वतर हो :

परंतु विशेष दशाओं में तीन वर्ष की ऐसी अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसे किसी कर्मचारी के प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, प्राधिकरण केंद्रीय सरकार को, ऐसे प्रत्येक कर्मचारी की बाबत, उसके छुट्टी, वेतन, 40 पेंशन और उपदान मद्दे, इतना अंशदान करेगा, जितना केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अवधारित करे :

परन्तु यह भी कि कोई ऐसा कर्मचारी प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जिसने प्राधिकरण को, उसकी नियमित सेवा में आमेलित

किए जाने के प्राधिकरण के प्रस्ताव की बाबत अपना यह आशय कि वह प्राधिकरण का नियमित कर्मचारी नहीं बनना चाहता, उतने समय के भीतर, जो प्राधिकरण इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सूचित कर दिया है ।

(8) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण द्वारा इस धारा के अधीन किसी कर्मचारी का अपनी नियमित सेवा में आमेलन ऐसे कर्मचारी को उस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य अधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा । 1947 का 14 5

प्राधिकरण द्वारा संविदाएं ।

19. धारा 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और उसका पालन करने के लिए सक्षम होगा । 10

प्राधिकरण की ओर से संविदाएं निष्पादित करने का ढंग ।

20. (1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा, प्राधिकरण के महानिदेशक द्वारा या उसके ऐसे अन्य सदस्य या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे प्राधिकरण, इस निमित्त साधारणतया या विशिष्टतया, सशक्त करे और ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं, जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित की जाएंगी : 15

परन्तु उतने मूल्य या रकम से, जितनी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर आदेश द्वारा, इस निमित्त नियत करे, अधिक की कोई संविदा तब तक नहीं की जाएगी जब तक प्राधिकरण द्वारा उसका पूर्व अनुमोदन न कर दिया गया हो :

परन्तु यह और कि स्थावर संपत्ति के अर्जन या विक्रय के लिए या ऐसी संपत्ति के तीस वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे के लिए कोई संविदा तथा उतने मूल्य या रकम से, जितनी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर आदेश द्वारा, इस निमित्त नियत करे, अधिक की कोई अन्य संविदा तब तक नहीं की जाएगी, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका पूर्व अनुमोदन न कर दिया गया हो । 20

(2) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी संविदा का प्ररूप और रीति ऐसी होगी जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 25

(3) कोई भी संविदा, जो इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं है, प्राधिकरण पर आबद्धकर नहीं होगी ।

अध्याय 5

30

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

प्राधिकरण की फीस और प्रभार उद्गृहीत करने की शक्ति ।

21. (1) प्राधिकरण, वायुयान अधिनियम 1934, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों, जारी की गई अपेक्षाओं और उपबंधित सेवाओं के अधीन ऐसी प्रभार्य फीसों और प्रभारों का संग्रहण कर सकेगा, जिनका वर्तमान में नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा संग्रहण किया जा रहा है । 1934 का 22

(2) प्राधिकरण, ऐसे कृत्यों के लिए, जो उपधारा (1) के अंतर्गत नहीं आते हैं,—

(क) विमान चालन सेवाओं के सुरक्षा अन्वेषण कृत्य के लिए, जिसके अंतर्गत विमान चालन प्रदाता द्वारा संगृहीत राजस्व की प्रतिशतता के आधार पर उसके उपस्कर का प्रमाणीकरण भी है, ;

(ख) यात्रियों की, और उनसे, सुरक्षा के लिए ;

(ग) वायु परिवहन प्रचालकों के, जिसके अन्तर्गत स्थोरा प्रचालक, विमानपत्तन और विमानक्षेत्र प्रचालक, जमीनी सुरक्षा सेवाएं और मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करने

40

वाले प्रचालक भी हैं, सुरक्षा अन्वेक्षा कृत्य और निगरानी के निरीक्षण के लिए ;

(घ) व्यक्तियों द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और अन्य सेवाओं के उपयोग और उपयोजन के लिए ;

(ङ) वैमानिक प्रकाशनों के विक्रय के लिए ; और

5 (च) प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध किसी अन्य सेवा के लिए,

फीसों या प्रभारों के उद्ग्रहण हेतु, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियम बना सकेगा ।

10 **स्पष्टीकरण**—इस धारा के अधीन फीस और प्रभार का उद्ग्रहण, संघ के किसी सशस्त्र बल के वायुयान को और उक्त बल के किसी वायुयान के प्रचालकों को लागू नहीं होगा ।

22. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, इस निमित्त विधि के अनुसार किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्,—

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को अतिरिक्त पूंजी और अनुदान ।

15 (क) उतनी पूंजी, जितनी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अथवा उनसे संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर उपलब्ध करा सकेगी, जो उस सरकार द्वारा अवधारित की जाए ;

20 (ख) प्राधिकरण को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार अवधारित करे, उधारों या अनुदानों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय कर सकेगी, जितनी वह सरकार, प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

23. (1) “भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण निधि” नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

प्राधिकरण की निधि और उसका विनिधान ।

(क) धारा 23 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिए गए सभी अनुदान ;

25 (ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीसों और प्रभार ; और

(ग) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं, प्राप्त सभी धनराशियां ।

(2) निधि का उपयोजन,—

30 (क) प्राधिकरण के अध्यक्ष, महानिदेशक, अन्य सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक का संदाय करने के लिए, लागू किया जा सकेगा ;

(ख) प्राधिकरण के, उसके कृत्यों के निर्वहन से संबंधित और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए,

35 किया जा सकेगा ।

(3) प्राधिकरण के नाम जमा वह सब धनराशि, जो उपधारा (2) में उपबंधित रूप में तुरंत उपयोजित नहीं की जा सकी है,—

(क) भारतीय स्टेट बैंक या लोक वित्तीय संस्थाओं से भिन्न ऐसे किसी अनुसूचित बैंक या किन्हीं बैंकों में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार

द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, निक्षिप्त की जा सकेगी ; और

(ख) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विनिहित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में “अनुसूचित बैंक” का वही अर्थ है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ड) में उसका है ।

5 1934 का 2

अधिशेष निधियों का
आवंटन ।

24. (1) प्राधिकरण, सुरक्षा संबंधी सेवाओं, कृत्यों या सुविधाओं में वृद्धि करने के प्रयोजन के लिए अथवा अस्थायी कारणों से आमदनी में किसी अस्थायी कमी या व्यय में किसी अस्थायी वृद्धि के विरुद्ध व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए अथवा अग्नि, तूफान, विमान दुर्घटना या अन्य दुर्घटना से हुई हानि या नुकसान के कारण प्रतिस्थापन के प्रयोजन के लिए या व्यय की पूर्ति के लिए अथवा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी कार्य या लोप से उत्पन्न किसी दायित्व की पूर्ति के लिए, समय-समय पर, इतनी रकमें, जितनी वह ठीक समझे, आरक्षित निधि या निधियों के रूप में पृथक् रख सकेगा :

10

परन्तु एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट आरक्षित निधि की स्थापना के बारे में प्राधिकरण के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण को एक साधारण आरक्षित निधि स्थापित करने की भी शक्ति होगी :

15

परन्तु यह और कि विनिर्दिष्ट और साधारण आरक्षित निधियों में से प्रत्येक की या किसी की बाबत प्रतिवर्ष पृथक् रखी गई राशियां तथा किसी समय ऐसी राशियों का योग, उन सीमाओं से अधिक नहीं होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उस निमित्त समय-समय पर, नियत की जाएं ।

(2) ऐसी आरक्षित निधि या निधियों के लिए तथा दृढंत और शंकास्पद ऋणों, आस्तियों के अवक्षयण और ऐसी सभी अन्य बातों के लिए व्यवस्था करने के पश्चात्, जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और निगमित कंपनियां प्रायः व्यवस्था करती हैं, प्राधिकरण अपने वार्षिक शुद्ध लाभों के अतिशेष का केन्द्रीय सरकार को संदाय करेगा ।

20

1956 का 1

बजट ।

25. प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किए जाएं, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करते हुए, तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को सूचना के लिए अग्रेषित करेगा ।

25

लेखा और
संपरीक्षा ।

26. (1) प्राधिकरण, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाए ।

30

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्टतया बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

35

40

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद् के

प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

27. (1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को, ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में तथा रीति से जो विहित किए जाएं या जैसे केन्द्रीय सरकार निदेश दे, प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विवरणियां और विवरण तथा ऐसी विशिष्टियां देगा, जिनकी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, अपेक्षा करे ।

विवरणियों आदि का केन्द्रीय सरकार को दिया जाना ।

(2) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष में एक बार वार्षिक रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किए जाएं, तैयार करेगा, जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण होगा और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, उसके प्राप्त होने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

अध्याय 6

अपराध और शास्तियां

28. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रायस करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और लगातार उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, चार हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

इस अधिनियम के अधीन आदेशों और निदेशों के अननुपालन के लिए दंड ।

29. यदि कोई व्यक्ति अध्याय 3 के अधीन पारित प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और लगातार उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, चार हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

प्राधिकरण के आदेश के अननुपालन के लिए दंड ।

30. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय, उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

कंपनियों द्वारा अपराध ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ख) “निदेशक” से कंपनी का कोई पूर्णकालिक निदेशक और फर्म के संबंध में उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

सरकारी विभाग
द्वारा अपराध ।

31. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग या उसके किसी उपक्रम द्वारा किया गया है, वहां विभाग या उसके उपक्रमों का अध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, सरकार के किसी विभाग या उसके किसी उपक्रम द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभाग या उपक्रम के अध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

अपराधों का
शमन ।

32. (1) प्राधिकरण, अपराधों का शमन करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण के उन सदस्यों को, जिन्हें अध्यक्ष उचित समझे, मिलाकर एक समिति का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जाएगी और समिति का विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाएगा और समिति में सदस्यों के मतों की संख्या बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष द्वारा अपनाया गया मत अंतिम होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन या वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत से अनधिक रकम के लिए, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें इस अधिनियम या वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन अपराध किया गया था, अपराधों का शमन करेगी ।

(3) कोई भी न्यायालय ऐसे किसी अपराध का, जहां उपधारा (2) के अधीन अपराध का शमन कर दिया गया है और अपराधी द्वारा शमनीय रकम को केन्द्रीय सरकार के पास जमा करा दिया गया है, संज्ञान नहीं लेगा ।

(4) जहां न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान ले लिया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति, इस अधिनियम या वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन किसी अपराध का निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय, न्यायालय की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् शमन कर सकेगी और न्यायालय, अपराधी द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास शमनीय रकम जमा कराए जाने के पश्चात् अपराधी को उन्मोचित करेगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार
द्वारा प्राधिकरण को
निदेश ।

33. (1) प्राधिकरण, अपने कृत्यों के निर्वहन में, ऐसे नीति विषयक मामले में, जिनमें लोकहित अन्तर्वलित हो, उन निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे लिखित में दिए जाएं ।

(2) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि ऐसा निदेश नीति विषयक ऐसे किसी मामले से, जिसमें लोकहित अंतर्वलित हो, संबंधित है अथवा नहीं, तो उस विषय में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

5 34. किसी भी सिविल न्यायालय की, किसी ऐसे मामले की बाबत, जिसका अवधारण करने के लिए प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है, अधिकारिता नहीं होगी।

अधिकारिता का वर्जन।

35. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण अथवा उसके किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

1934 का 22

36. यदि कोई व्यक्ति, प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा, उसके नाम से इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किए गए किसी आदेश या जारी किए गए निदेश से व्यथित है, तो वह, केन्द्रीय सरकार को अपील, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर फाइल कर सकेगा, जो विहित की जाए।

अपीलें।

1957 का 27
1961 का 43

37. धन कर अधिनियम, 1957, आय-कर अधिनियम, 1961 या धन, आय, सेवाओं या अभिलाभों पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, अपने धन, आय, सेवाओं या व्युत्पन्न अभिलाभों के संबंध में धन-कर, आय-कर, सेवा-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा।

कतिपय करों से छूट।

20 38. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर करने के सिवाय, नहीं करेगा।

अपराधों का संज्ञान।

25 39. प्राधिकरण, लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य या अधिकारी को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (अपराधों का शमन करने की शक्ति और विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय), जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

40. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि--

*केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति।

30 (क) गंभीर आपात के कारण, प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

35 (ख) प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या नागर विमानन की सुरक्षा में कमी आई है; या

(ग) ऐसी अन्य परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

40 तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक की उतनी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी :

परन्तु खंड (ख) में वर्णित कारणों से इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने के पूर्व, केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण को इस बात का हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और प्राधिकरण

के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से ही, उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ; 5

(ख) उन सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका प्रयोग या निर्वहन इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है, प्रयोग और निर्वहन तब तक, जब तक उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार निदेश दे, किया जाएगा; 10

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति तब तक, जब तक उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित काल की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार नई नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में वे सदस्य, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए हैं, नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे : 15

परन्तु केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अतिष्ठित काल की समाप्ति के पूर्व किसी समय इस उपधारा के अधीन कार्यवाई कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाई की और उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्यवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी। 20

अन्य विधियों के लागू होने का अपवर्जन।

41. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

42. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी। 25

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक और पूर्णकालिक सदस्यों की अर्हता, वृत्तिक अनुभव और सक्षमता ; 30

(ख) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष, महानिदेशक और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष, महानिदेशक या किसी सदस्य द्वारा पद से त्यागपत्र देने की सूचना देने की अवधि ;

(घ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या अन्य सदस्य को हटाए जाने के लिए जांच करने की प्रक्रिया ; 35

(ङ) धारा 10 के अधीन अध्यक्ष की अन्य शक्तियां और कृत्य ;

(च) वे नियम, जिनके अधीन रहते हुए प्राधिकरण धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा ;

(छ) वे नियम, जिनके अधीन रहते हुए प्राधिकरण धारा 14 की उपधारा (3) के 40

अधीन अपने कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ;

(ज) वे निबंधन और शर्तों, जिनके अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय के प्रयोजनों के लिए या उनके संबंध में उपगत सभी अनावर्ती व्यय धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई पूंजी माने जाएंगे ;

(झ) धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन धन का विनिधान करने की रीति ;

(ञ) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण धारा 25 के अधीन अपना बजट तैयार करेगा ;

10 (ट) वह प्ररूप, जिसमें धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे जाएंगे तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ;

(ठ) वह समय, जब और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा विवरणियां और विवरण दिए जाएंगे ;

15 (ड) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जब धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ;

(ढ) ऐसी अवधि, जिसके भीतर, वह रीति, जिसमें और वह फीस, जिसके संदाय पर धारा 36 के अधीन अपील की जा सकेगी ;

20 (ण) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

1934 का 22

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए नियम, जहां तक वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं, यथास्थिति, उसी विषय पर इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाए जाने तक या प्राधिकरण द्वारा विनियम बनाए जाने तक प्रवृत्त रहेंगे ।

25 43. (1) प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा, जो उस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत है ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

30 (क) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा कारबार के संव्यवहार के लिए, जिसके अन्तर्गत बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी है, प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

35 (ख) वे लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज, जो धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक वायु परिवहन प्रदाता या सेवा प्रदाता द्वारा रखे जाने अपेक्षित हैं ;

(ग) वे संविदाएं या संविदाओं का वर्ग, जो धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित किया जाएगा ;

(घ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन कोई संविदा की जाएगी ;

40 (ङ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन फीसों और प्रभारों का उद्ग्रहण ;
और